

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 102 : Special Audit

- (1) Where special audit is required to be conducted in accordance with the provisions of section 66, the officer referred to in the said section shall issue a direction in **FORM GST ADT-03** to the registered person to get his records audited by a chartered accountant or cost accountant specified in the said direction.
 - (2) On conclusion of the special audit, the registered person shall be informed of the findings of the special audit in **FORM GST ADT-04**.
-

नियम 102 : विशेष संपरीक्षा

- (1) जहां धारा 66 के उपबंधों के अनुसार विशेष संपरीक्षा करने की अपेक्षा है वहां उक्त धारा में निर्दिष्ट अधिकारी प्ररूप जीएसटी एडीटी-03 में एक निदेश जारी करेगा जिसमें वह रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उक्त निर्देश में विनिर्दिष्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा अभिलेखों की संपरीक्षा करवाने का निर्देश देगा।
 - (2) विशेष संपरीक्षा के समाप्त होने पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को प्ररूप जीएसटी एडीटी-04 में विशेष संपरीक्षा के निष्कर्षों के बारे में सूचित किया जाएगा।
-